


रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4. PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] No. 112]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई, 21, 2008/आषाढ़ 30, 1930 NEW DELHI, MONDAY, JULY 21, 2008/ASADHA 30, 1930

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2008

फा. सं. 48-3/(1)/2008 राअशिप/मा तथा मा.— विभिन्न अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए मानदंडों और मानकों सहित मान्यता प्रदान किए जाने की क्रियाविधि निर्धारित करने वाले विनियम 10 दिसम्बर, 2007 को अधिसूचित दिनांक 27 नवम्बर, 2007 के राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 के रूप में प्रख्यापित किए गए थे। बाद में इन विनियमों के कार्यान्वयन पर विचार करते हुए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के दिनांक 21 जनवरी, 2008 के पत्र सं. 48-3/2008/राअशिप (मा तथा मा) के माध्यम से अपेक्षित स्पष्टीकरण जारी किए गए थे। इन विनियमों की धारा 5(4) तथा 5(5) में दी गई निश्चित तिथि और समय-सीमा पर इस तथ्य के चलते पुनर्विचार किया गया कि ये विनियम 10 दिसम्बर, 2007 को अर्थात् धारा 5(4) के अनुसार चालू शैक्षणिक सत्र 2008-09 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की निश्चित तारीख के बाद अधिसूचित किए गए थे।

तद्नुसार उपर्युक्त विनियमों का संशोधन करते हुए तथा राअशिप अधिनियम, 1993 के खण्ड 32(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राअशिप एतद्द्वारा निम्न विनियम बनाती है :—

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रवर्तन.—(i) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड और क्रियाविधी) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2008 कहलाएंगे।
- (ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2755 GI/2008

- 2. परिभाषाएं. इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ की दृष्टि से अन्यथा अपेक्षित न हो यहां प्रयुक्त और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73वां) में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो कि उन्हें क्रमशः उपर्युक्त अधिनियम में दिया गया है।
- 3. प्रयोज्यता.—ये विनियम अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित सभी मामलों में, जिनमें मानदंड और मानक तथा संस्थानों की मान्यता के लिए क्रियाविधियां, नए कार्यक्रमों की शुरूआत तथा मौजूदा कार्यक्रमों में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि तथा तत्संबंधी मामले शामिल हैं, लागू होंगे । ये संशोधन विनियम केवल चालू शैक्षणिक सत्र अर्थात् २००४-०९ से नया अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मान्यता/मंजूरी प्रदान करने के वास्ते लागू होंगे और बाद के किसी वर्ष के लिए नहीं । अगले शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2009-10 के बाद से विनियमों की धारा 5(4) तथा 5(5) में निर्दिष्ट निश्चित तारीख और समय-सीमा का कड़ाई से पालन किया जाएगा ।
- 4. संशोधन की सीमा,—राअशिप (मान्यता मानदंड और क्रियाविधि) विनियम, 2007 की धारा 5(5) धारा केवल चालू शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2008-09 से विभिन्न शिक्षक पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भान्यता/मंजूरी प्रदान किए जाने तक संशोधित की गई है।

क्षेत्रीय समितियों के पास विचाराधीन पड़े सभी आवेदन पत्रों पर चालू शैक्षणिक सत्र अर्थात् 2008-09 के लिए संगत विनियमों के अनुसार तथा कालक्रमानुसार अनुक्रम रखते हुए कार्रवाई की जाएगी और प्रदान की गई अथवा नामंजूर की गई मान्यता के रूप में अंतिम निर्णय 31 अगस्त, 2008 तक सूचित कर दिया जाएगा।

हसीब अहमद, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./131/08]

(1)

ाहायक नियंत्रक (प्रशासन) भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग 1 सेविल लाइन्स, दिल्ली-54

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2008

F. No 48-3/(1)/2008/NCTE/N&S.—Regulations. laying down the procedure for grant of recognition along with norms and standards for various teacher education courses were promulgated by the National Council for Teacher Education vide NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2007, dated 27th November, 2007 notified on 10th December, 2007. Subsequently, while considering implementation of these Regulations, requisite clarifications were issued to all the Regional Committees of NCTE relating to various points vide NCTE's letter No 48-3/2008/NCTE (N&S) dated 21st January, 2008. The matter regarding cut off date and time limit prescribed in the clause 5(4) and 5(5) of these Regulations has further been reconsidered in view of the fact that these Regulations were notified on 10th December, 2007 i.e. after the cut off date for submission for application for current academic session i.e. 2008-2009 was over as per clause 5(4) of these Regulations.

Accordingly, in modification of the above Regulations and in exercise of the powers conferred under Section 32(2) of the NCTE Act, 1993, the NCTE hereby makes the following Regulations:

1. Short title and commencement.—(i) These Regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) (First Amendment) Regulations, 2008.

(ii) They shall come into force w.e.f. the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these regulations, unless the context otherwise requires, all the words and expressions used herein and defined in the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993) shall have the same meaning respectively assigned to them in the said Act.

3. Applicability.—These regulations shall be applicable to all matters relating to teacher education programmes covering norms and standards and procedures for recognition of institutions, commencement of new programmes and addition to sanctioned intake in existing programmes and others matters incidental thereto. These amendment regulations shall be applicable only for grant of recognition/permission to start teacher training course for the current academic session i.e. 2008-2009 and not for any subsequent year. From next academic session i.e. 2009-2010 onwards, the cut off date and time limits mentioned in clause 5(4) and 5(5) of the Regulations shall strictly be enforced.

4. Extent of Amendment.—Clause 5(5) of the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2007, is modified as under only for grant of recognition/permission for starting various teacher training courses for current academic session i.e. 2008-2009.

All complete applications pending with the Regional Committees shall be processed for the current academic session i.e. 2008-2009 in accordance with the provisions of relevant Regulations and maintaining the chronological sequence and final decision, either recognition granted or refused, shall be communicated by 31st August, 2008.

HASIB AHMAD, Member Secy.

[ADVT-III/4/Exty./131/08]